संख्याः 1927 /VII-1/2018/42–ख/17

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांकः 22 फरवरी, 2018**

विषयः जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत सान्द्रा रेंज बैनोल कक्ष सं० 15 एवं 16 में 4.00है० (1.20 लाख घनमीटर) भूमि पर सतलुज जल विद्युत परियोजना के कार्य हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–8759/बत्तीस–15 (2008–09), दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के सन्दर्भ में एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–610/खनन/उत्त०/भू०खनि०ई०/2017–18, दिनांक 10 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महाप्रबन्धक, सतलुज जल विद्युत निगम लि0, मोरी, जिला उत्तरकाशी को जनपद उत्तरकाशी के आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत सान्द्रा रेंज बैनोल कक्ष सं० 15 एवं 16 कुल रकवा 4.00है0 (1.20 लाख घनमीटर) वन भूमि में नैटवार–मोरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति 2016 के बिन्दु सं० 23(1) के प्रावधानानुसार उपखनिज के चुगान हेतु 05 वर्ष की अवधि अथवा नैटवार–मोरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य की अवधि तक, जो भी कम हो तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनुमति संख्या–J-12011/15/2010/IA.I, दिनांक 16 जून, 2016 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
2. पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से निकासी किये गये उपखनिज का उपयोग मात्र परियोजना निर्माण कार्य में किया जायेगा, इसका अन्यत्र उपयोग नहीं किया जायेगा तथा उपखनिजों का व्यवसायिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
3. निकासी हेतु निर्धारित उपखनिज की मात्रा पर देय रायल्टी व किश्त का निर्धारण खान अधिकारी/खान निरीक्षक के द्वारा किया जायेगा।
4. स्वीकृत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम–17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से पर्यावरणीय अनुमति की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
5. जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम०–11 पट्टाधारक को निर्गत किया जायेगा।
6. नियम–14 के प्रावधानानुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् उक्त विलेख का पंजीकरण कराने के उपरान्त ही खनन क्षेत्र से उपखनिज का चुगान प्रारम्भ किया जायेगा।

7. पट्टधारक स्वीकृत क्षेत्र से उपखनिज बालू, बजरी एवं बोल्डर का चुगान सतह से 1.5 मी० की गहराई अथवा ग्राउन्ड वाटर लेवल, जो भी कम हो, से अधिक नहीं करेगा।
8. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी का मासिक विवरण प्रपत्र एम०एम०–12 में जिलाधिकारी कार्यालय एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत करेगा।
9. पट्टाधारक के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज परिहार नियमावली, 2001, उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति 2016 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
10. पट्टाधारक स्वीकृत खनन क्षेत्र से उपखनिज की निकासी/परिवहन प्रपत्र एम०एम०–11 पर करेगा।
11. पट्टाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा, जिससे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 1927 **(1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में।
2. उप महाप्रबन्धक, सतलुज जल विद्युत निगम लि0, मोरी, जिला उत्तरकाशी।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

19/07/18

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव